ग्राम पंचायत ठोंठा जाखल, विकास खण्ड पांवटा साहिब, ज़िला सिरमौर
के लेखाओं का अंकेक्षण व निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1.04.2014 से 31.03.2017

भाग-I

1 प्रस्तावना (क):-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने के उपरान्त व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव, पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पीसीएच-एचसी-(5) सी(15) एलएडी/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 **द्वारा** पंचायती राज संस्थाओ के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सोंपे जाने के दृष्टिगत, **ग्राम पंचायत, ठोंठा जाखल, विकास खण्ड पांवटा साहिब, ज़िला सिरमौर** के अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग **द्वारा** किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत मे निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे;

प्रधान:-

क्रमांक	प्रधान का नाम नाम	कार्यकाल
1	श्रीमती गंगी देवी	23/01/11 से 22.01.2016 तक
2	सूरत सिंह	23.01.2016 से लगातार

सचिव:-

क्रमांक	सचिव का नाम	कार्यकाल
1.	श्री इन्दर सिंह	01/04/14 से 24/10/2014 तक
2.	श्री वेद प्रकाश	25/10/14 से 08/02/2016 तक
3.	श्री सतीश कुमार	09/02/16 से 12/11/2016 तक
4.	श्री इन्दर सिंह	13/11/16 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:- ग्राम पंचायत, ठोंठा जाखल के लेखों का अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम सं0	पैरा संख्या	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	**5**	रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना	**2.52**
2	7	गृहकर की शेष वसूली	----
3	8	अनुदान की राशि का उपयोग न करना	28.97
4	9	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टोर/स्टॉक सामग्री का क्रय	2.46
5	10	क्रय की गई सामग्री की स्टोर/स्टॉक प्रविष्टि न करना	2.44
6	11(i)	मनरेगा-वितीय वर्ष 2015-16 में किये गए व्यय भुगतान को रोकड़ बही में कम दर्ज करना	13.55
7	11(ii)	मनरेगा-वितीय वर्ष 2015-16 में किये गए व्यय को रोकड़ बही में दर्ज न करना	10.76
8	**11(iii)**	मनरेगा-रोकड़ बही में दर्ज राशी से Online पाया गया अधिक भुगतान	7.82

9	11(v)	मनरेगा–बिना बिल/वाउचर तथा रोकड़ बही में दर्ज किये गया ऑनलाइन भुगतान	1.57
10	12(i)	निर्माण कार्यो पर किये गए व्यय का तकनीकी प्राधिकारी **द्वारा** किये गए मूल्यांकन से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करना	22.25
11	13(ii)	सक्षम तकनीकी प्राधिकारी से सत्यापित व मूल्यांकित करवाए बिना मस्टर रोल्स की राशि का भुगतान	1.90

भाग –दो

2 **वर्तमान अंकेक्षण:–**

ग्राम पंचायत ठोंठा जाखल, विकास खण्ड पांवटा साहिब, ज़िला सिरमौर के अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री राकेश कुमार चौहान, अनुभाग अधिकारी **द्वारा** दिनांक **20.11.17 से 25.11.2017** को ग्राम पंचायत ठोंठा जाखल के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्नलिखित मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों मे समाविष्ट किया गया है:-

वर्ष	आय माह	व्यय माह
2014-15	08/2014	07/2014
2015-16	02/2016	03/2016
2016-17	05/2016	03/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूप पंचायत के नियंत्रण अधिकारी **द्वारा** उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत **द्वारा** अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति मे अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 **अंकेक्षण शुल्क:–**

ग्राम पंचायत ठोंठा जाखल, विकास खण्ड पांवटा साहिब, ज़िला सिरमौर के अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क **₹6000** बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से **निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009** को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या जी.पी.(आडिट)/पांवटा साहिब/2017-18-14 दिनांक 25.11.2017 **द्वारा** सचिव, ग्राम पंचायत ठोंठा जाखल से अनुरोध किया गया है।

4 **वित्तीय स्थिति:–** ग्राम पंचायत ठोंठा जाखल **द्वारा** प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी:-

i) स्व स्त्रोत:– ग्राम पंचायत ठोंठा जाखल के अवधि 01/4/2014 से 31/3/2017 तक स्व: स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण:-

(परिशिष्ट–1)

वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2014-15	--------	16593.00	16593.00	18892.00	(-)2299.00
2015-16	(-)2299.00	40.00	(-)2259.00	600.00	(-)2859.00
2016-17	(-)2859.00	73421.00	70562.00	18482.00	52080.00

नोटः- सचिव ग्राम पंचायत, ठोंठा जाखल **द्वारा** स्वयं के स्त्रोत से प्राप्त आय-व्यय को भी सामान्य निधि में ही जमा करवाया गया है तथा स्वः स्त्रोत का अलग से खाता न होने के कारण प्रारंभिक शेष ज्ञात नहीं किया जा सका है, जिस कारण पंचायत निधि की उपरोक्त वितीय स्थिति वर्ष 2015-16 व 2016-17 में ऋणात्मक शेष दर्शा रही है, जिस बारे वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 के अनुसार स्वयं के स्त्रोत की आय को पृथक से खाता खोलकर खाता-"क" में रखे जाने का प्रावधान है । अतः स्वयं के स्त्रोत से प्राप्त होने वाली आय व व्यय को पृथक से खाता खोलकर उसमे आय को जमा किया जाना व उसी खाते से व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

ii) अनुदानः- ग्राम पंचायत ठोंठा जाखल के अवधि 01/4/2014 से 31/3/2017 की अनुदानों की वितीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **{परिशिष्ट-2 व 2A}** मे दिया गया है ।

वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्त शेष
2014-15	1398746.66	1016980.00	2415726.66	1093706.00	1322020.66
2015-16	1322020.66	457584.00	1779604.66	83138.18	1696466.48
2016-17	1696466.48	5422245.00	7118711.48	4222181.00	2896530.48

नोट :- रोकड़ बही में मासांत/वर्षांत प्रारम्भिक व अंतिम शेष नहीं दर्शाए गए है। अतः बैंक पास बुकों के दिनांक 01/04/14 के प्रारम्भिक शेष को ही वितीय स्थिति का दिनांक 01/04/14 का प्रारम्भिक शेष (opening balance) लिया गया है ।

5 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना :-

रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करने पर पाया गया कि पंचायत **द्वारा** अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था। जबकि हि०प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों के साथ

मिलान करना अनिवार्य था । अतः पंचायत **द्वारा** रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। जिसके परिणामस्वरूप रोकड़ बही (वितीय स्थिति) तथा बैंक के शेषों में दिनांक 31/03/2017 को निम्नविवरणानुसार **₹2,51,911.20** का अन्तर है जिसकी जाँच की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

क्रमांक	विवरण	राशि (₹)	परिशिष्ट
1.	स्वः स्त्रोत	52080.00	1
2.	अनुदान	2896530.48	2
3.	समेकित वितीय स्थिति के अनुसार शेष	2948610.48	3
4.	विभिन्न बैंकों में जमा राशि	2696699.28	4
5.	**अन्तर**	**251911.20**	
6.	**{1248795-1000184]**	**248611.00**	**5**
	शेष अन्तर	**3300.20**	

विभिन्न बचत बैंक खातों में 31.03.2017 को जमा राशि का ब्यौरा (परिशिष्ट-4)

क्रमांक	अनुदान	बैंक का नाम	बचत खाता संख्या	31.03.2017
1.	सामान्य निधि	HPSCB, KAMRAU	57010101043	1351755.28
		-----do------	57010102265	135.00
		-----do------	57010101030	23969.00
2.	BRGF	-----do------	57010102206	54937.00
3.	MANREGA	-----do------	57010101193	-----------
4.	IAY	-----do------	57010101045	226.00
5.	AAY	-----do------	57010102546	725.00
6.	RGAY	-----do------	57010101466	73463.00
7.	13th FC	-----do------	57010104706	2763.00
8.	14th FC	-----do------	57010108178	544701.00
9.	MHWDP	-----do------	57010104123	12241.00
		-----do------	57010104124	8371.00
10.	JVN		57010100776	623319.00
			बचत बैंक खातों में जमा कुल राशि	**₹2696605.28**
			हस्तगत शेष (सामान्य निधि)	**94.00**
			31.03.2017 को कुल शेष राशि	**₹2696699.28**

6 स्वः स्त्रोत से आय की प्राप्ति:-

ग्राम पंचायत ठोंठा जाखल को गत तीन वर्षों में स्वयं के स्त्रोत से प्राप्त आय के अवलोकन से ज्ञात होता है कि ग्राम पंचायत को स्वयं के स्त्रोत से बहुत ही कम आय प्राप्त हो रही है जिसका प्रमुख कारण पंचायत **द्वारा** पिछले कई वर्षो से गृहकर व अन्य करों की दरें ही निर्धारित न करना है, क्योकि उक्त दरों के निर्धारण से सम्बंधित कोई भी अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किये गए। यद्यपि, सचिव ग्राम पंचायत ठोंठा जाखल **द्वारा** उनके पत्र क्रमांक:05/2017-18.GP.Thontha Jakhal दिनांक 24/11/2017 (परिशिष्ट-6) **द्वारा** उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत **द्वारा** अंकेक्षण

अवधि के दौरान विभिन्न करों व शुल्कों की वसूली निम्नलिखित दरों से की गयी दर्शायी गई है ।

Sr.No	Source of income	Rates of realization (₹)	Remarks
1	House Tax	20/- per year	2014-15
		20/- per year	2015-16
		20/- per year	2016-17
2	Land Revenue	---------	Received as per Govt. approved Rates
3	Marriage registration fees	200 (25/- BPL)	Registration within 30 days
		400 (50/- BPL)	Registration within 90 days
4	Certificate fee	10/-	-----------
5	Liquor cess	-------	As per govt. rates

अतः पंचायत निधि को प्राप्त होने वाली नियमित आय की वसूली दरों को निर्धारित न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में समय रहते इन दरों का नियमानुसार निर्धारण कर तदानुसार ही इन करों/शुल्कों का एकत्रीकरण किया जाना सुनिश्चित की जाए ।

7 **स्वः स्त्रोत से प्राप्त होने वाली आय की निरन्तर वसूली न करना :-**

सचिव ग्राम पंचायत ठोंठा जाखल **द्वारा** अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: जी.पी.ऑडिट/पांवटा साहिब/ठोंठा जाखल/2017-18-3 दिनांक 20/11/2017 के सन्दर्भ में उनके पत्र क्रमांक:05/2017-18.GP.ThonthaJakhal दिनांक 24/11/2017 **द्वारा** गृहकर की शेष वसूली के बारे में जो सुचना प्रदान की गई उसके अनुसार दिनांक 31/03/2017 को निम्नतालिकानुसार गृहकर की राशि वसूली योग्य शेष राशि शून्य बताई गई है, **जबकि सामान्य निधि की रोकड़ बही व उपलब्ध करवाई गई आय-व्यय तालिका के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान गृहकर के रूप में कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है, जिससे उपलब्ध करवाई गई सुचना विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती।** अतः सम्बन्धित अभिलेख की पुनः जाँच की जाए, यदि अंकेक्षण आपति सही पाई जाती है तो उक्त कर की बकाया राशि का सही-सही पता लगाकर उसकी वसूली सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(परिशिष्ट-6 क्रमांक 2)

वर्ष	कुल परिवार	वार्षिक दर	कुल कर	प्राप्त राशि	शेष राशि
2014-15	270	20/-	5400/-	5400/-	शून्य
2015-16	275	20/-	5500/-	5500/-	शून्य
2016-17	280	20/-	5600/-	5600/-	शून्य
गृहकर की वसूली योग्य राशि			**16,500/-**	**16,500/-**	**शून्य**

इसके अतिरिक्त सचिव, ग्राम पंचायत ठोंठा जाखल **द्वारा** आय की वसूली से सम्बन्धित **"मांग एवं वसूली पंजी"** का संधारण नहीं किया जा रहा है ऐसे में गृहकर शुल्क तथा अन्य शुल्कों से पंचायत को प्राप्त होने वाली आय का सही-सही पता नहीं लगाया जा सका। अतः पंचायत सचिव इस सम्बन्ध में अपने स्तर पर अभिलेख की पुनः जांच करते हुए वास्तविक वसूली योग्य राशि का आकलन करके सम्बन्धित से उसकी वसूली करते हुए पंचायत निधि में जमा करना सुनिश्चित करे तथा तदानुसार अंकेक्षण को अवगत

करवाया जाये । इसके अतिरिक्त भविष्य में **"मांग एवं वसूली पंजी"** का संधारण भी किया जाये ताकि पंचायत को देय सही राशि का तुरन्त बोध हो सके तथा पंचायत को आय की हानि न हो।

8 अनुदान की ₹28.97 लाख का उपयोग न करना:-

पंचायत **द्वारा** उपलब्ध कारवाई गई सूचना **(परिशिष्ट-2)** के अनुसार दिनांक 31/03/2017 तक अनुदानों से प्राप्त **₹28,96,530** उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत **द्वारा** विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत **द्वारा** अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त कर उक्त राशि को व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बंधित संस्था को किया जाये।

9 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹2.46 लाख स्टोर/स्टॉक सामग्री का क्रय:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) **द्वारा** स्टाक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिक्ताएं प्रावधिक है जिसके अनुसार ₹1000 से अधिक के व ₹50,000 से कम राशि के क्रय हेतु कोटेशन आमंत्रित किया जाना तथा ₹50,000 से अधिक राशि के क्रय हेतु निविदा आमंत्रित किए जाने का प्रावधान है ताकि ग्राम पंचायत को प्रतियोगी मूल्यों का लाभ प्राप्त हो सके । जबकि नियम 67 (3)(a) के अनुसार ग्राम पंचायत **द्वारा** प्रधान, उप प्रधान, ग्राम पंचायत **द्वारा** नामित दो वार्ड मेम्बर्स तथा सचिव को सम्मिलित करके एक उप समिति का गठन करके समिति **द्वारा** निविदा/कोटेशन्स आमंत्रित करने के उपरान्त ही क्रय किए जाने का प्रावधान है । परन्तु ग्राम पंचायत ने बिना उप समिति का गठन किये तथा नियमानुसार कोटेशन/निविदाएं आमंत्रित किए बिना ही स्टोर/स्टॉक की सामग्री का क्रय किया है, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तीजनक है। अतः उक्त व्यय/क्रय को नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी कि स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में प्रत्येक व्यय/क्रय नियमानुसार तरीके से ही किया जाना सुनिश्चित किया जाये। उक्त नियमों की अवहेलना कर पंचायत **द्वारा** किये गये क्रय की कुछ मदों का ब्यौरा संलग्न {**परिशिष्ट-7**} में दिया गया है;

10 क्रय की गई स्टोर/स्टॉक की सामग्री की प्रविष्टि न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 के अनुसार पंचायत **द्वारा** प्राप्त/क्रय की गई मदों को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करना अपेक्षित है । ग्राम पंचायत ठोंठा जाखल के अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत **द्वारा** विभिन्न विकास कार्यों हेतु क्रय की गई विभिन्न मदों की स्टॉक प्रविष्टियाँ निर्धारित स्टॉक रजिस्टरों में दर्ज नहीं की जा रही है जोकि

नियमानुसार अपेक्षित थी। अंकेक्षण अवधि में क्रय की गई कुछ मदें जिन्हें स्टोर/स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था का ब्यौरा संलग्न (**परिशिष्ट-**8) में दिया गया है।

अतः क्रय की गई मदों की स्टॉक प्रविष्टियों को सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करने के कारणों को स्पष्ट किया जाए तथा प्रत्येक मद की स्टॉक प्रविष्टियाँ खपत विवरण सहित स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में स्टोर/स्टॉक रजिस्टरों का रख-रखाव नियमानुसार किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

11 मनरेगा योजना के अंतर्गत खर्च राशि से सम्बन्धित अनियमितताएँ:-

(i) वितीय वर्ष 2014-15 के दौरान किये गए व्यय भुगतान को रोकड़ बही में ₹13.55 लाख कम दर्ज करना:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वितीय वर्ष 2014-15 में रोकड़ बही में केवल **₹433446** का व्यय भुगतान दर्ज किया गया था जबकि उक्त वर्ष के दौरान किये गए व्यय का ऑनलाइन फाइनेंसियल स्टेटमेंट्स के अनुसार **₹17,88,628** का भुगतान किया गया है, अतः **₹13,55,182** के व्यय भुगतान को रोकड़ बही में दर्ज न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उक्त व्यय की राशि को रोकड़ बही में दर्ज कर उसका बिल/वाउचर के साथ मिलान कर आगामी अंकेक्षण को प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

रोकड़ बही में दर्ज कुल व्यय	कुल ऑनलाइन भुगतान	अन्तर
433446	1788628	1355182

(ii) वितीय वर्ष 2015-16 में किये गए ₹10.76 लाख के व्यय भुगतान को रोकड़ बही में दर्ज न करना:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत सचिव **द्वारा** वितीय वर्ष 2015-16 में मनरेगा योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान व खर्च की गयी राशि को रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया था, जबकि उक्त अवधि में सचिव ग्राम पंचायत **द्वारा** प्रदान की गई **Online Financial Statements** के अनुसार विभिन्न विकास कार्यो पर वितीय वर्ष 2015-16 में **₹10,75,666** {(labour-549666/-)+(Material-526000/-)} का **Online** भुगतान किया गया है। उक्त प्राप्ति व भुगतान का रोकड़ बही में दर्ज न होने के कारण न तो उन्हें वितीय स्थिति में शामिल किया जा सका और न ही सम्बन्धित अभिलेख के साथ उसकी अंकेक्षण से सम्बन्धित जाँच की जा सकी, अतः उक्त अवधि की रोकड़ बही को संधारित न करने तथा सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करने बारे औचित्य स्पष्ट करते हुए उक्त अभिलेख को पूर्णतः तैयार करके आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

(iii) वितीय वर्ष 2016-17 के दौरान रोकड़ बही में दर्ज व्यय की राशि से ₹7.82 लाख का Online अधिक भुगतान:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मनरेगा योजना के अंतर्गत **(Online Financial Statements)** के अनुसार विभिन्न विकास कार्यों हेतु किये गए भुगतान की राशि बिल/वाउचर के अनुसार रोकड़ बही में दर्ज की गई व्यय की राशी से वितीय वर्ष **2016-17** में **₹7,81,911.** अधिक है| उक्त **Online** भुगतान की गई राशि तथा रोकड़ बही में दर्ज व्यय की राशि में उपरोक्त अन्तर बारे वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा अधिक भुगतान की गई राशि को उचित स्त्रोत से वसूलकर पंचायत निधि/सम्बन्धित कोष में जमा किया जाये तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

(iv) निर्माण कार्य फार्म पोंड रानोई धार में मस्टर रोल संख्या: 2689 अवधि 01.03.17 से 15.03.2017 पर 9 लोगों को 15 दिन तक ₹170 प्रतिदिन के हिसाब से ₹22950 की राशि का ऑनलाइन भुगतान किया गया है, जबकि उक्त मस्टर रोल के क्रम संख्यां 5 पर दर्ज श्री प्रताप सिंह जॉब कार्ड संख्या HP-10-003-128-01645200/122 श्री राम सिंह जिन्हें मस्टर रोल पर गैर हाजिर दर्ज किया गया है को ₹2550 का भुगतान दर्शाया गया है । अतः उपरोक्त बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भुगतान सही न पाए जाने की स्थिति में उक्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जाए।

(v) बिना बिल/वाउचर तथा रोकड़ बही में दर्ज किये ₹1.57 लाख का ऑनलाइन भुगतान:-

मनरेगा योजना के अन्तर्गत माह 07/2016 में निम्न तालिकानुसार **₹156978** का भुगतान बिना बिल/वाउचर तथा दर्ज किये बिना किया गया है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उक्त व्यय/भुगतान को रोकड़ बही में दर्ज कर सम्बन्धित अभिलेख के साथ आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

Date	Name of Work	M/R No.	Amount
22.07.16	C/O Sanjha Prangan, Gujon	85	17820/-
22.07.16	---------do---------	86	7776/-
30.07.16	C/O Pakka Rasta Bus Stand-Tadatvas	87	22680/-
30.07.16	---------do---------	88	22680/-
30.07.16	---------do---------	89	4536/-
22.07.16	C/O Irrigation Tank. Land of Rangilal	90	22680/-
22.07.16	C/O Irrigation Tank Hukkam Singh	91	18144/-
22.07.16	C/O Irrigation Tank Kota vass Kailash	92	22518/-
22.07.16	C/O Irrigation Tank Kota vas Sant Ram	93	18144/-
		Total	**₹156978/-**

12 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अनियमितता बारे:-

(i) निर्माण कार्यो पर व्यय किये गए व्यय भुगतान का तकनीकी प्राधिकारी द्वारा किये गए मूल्यांकन से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत किये बिना किया गया ₹22.25 लाख का आहरण/भुगतान:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि विभिन्न निर्माण कार्यों पर खर्च की गई **₹22,25,152** के सक्षम **तकनीकी प्राधिकारी** से करवाए गए मूल्यांकन से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये, जिनकी अनुपस्थिति में किया गया व्यय भुगतान सही था भी अथवा नहीं इस बारे पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः यदि उपरोक्त राशि का आहरण/भुगतान बिना मूल्यांकन के हुआ है तो वह अनियमित होने के साथ-साथ संदिग्ध भी प्रतीत होता है। विकास कार्यों की सूचि {**परिशिष्ट-9**} के अनुसार बहुत से कार्य वर्ष 2014-15 या इससे भी पहले से शुरू किये गए है जोकि अंकेक्षण अवधि तक भी पूर्ण नहीं हुए थे और न ही इन कार्यों पर दर्शाए गए व्यय को तकनीकी प्राधिकारी **द्वारा** मूल्यांकित किया गया है, जोकि उक्त विकास कार्यों की सूचि के अनुसार स्वतः ही स्पष्ट है। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित **प्राक्कलन अभिलेख, माप पुस्तिकाएं, मूल्यांकन शीट्स तथा उक्त कार्यो के पूर्ण होने से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख** अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किये गए, जिनके अभाव में दर्शाया गया व्यय/भुगतान सही था भी या नहीं इस बात की

पुष्टि नहीं की जा सकी, जिस बारे वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए कि कौन से कार्य पूर्ण हो गए है तथा कौन से कार्य प्रगति पर है तथा कौन से कार्य अधूरे/कितनी अवधि से बन्द पड़े है और उन पर दर्शाया गया व्यय सही है या नहीं। अन्यथा, भुगतान/आहरण अनियमित पाए जाने की स्थिति में आहरित राशि को उचित स्त्रोत से वसूलकर सम्बन्धित कोष में जमा कर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

अनुदान	कुल व्यय भुगतान	विवरण
मनरेगा {2015-15}	**488750/-**	**परिशिष्ट-9 पृष्ठ-34**
{2016-17}	**739415/-**	**परिशिष्ट-9 पृष्ठ-36**
14th FC	**47782/-**	**परिशिष्ट-9 पृष्ठ-37**
BRGF	**266392/-**	**परिशिष्ट-9 पृष्ठ-38**
General {13th FC} 2014-15	**132996/-**	**परिशिष्ट-9 पृष्ठ-39**
General {13th FC} 2061-17	**17711/-**	**परिशिष्ट-9 पृष्ठ-40**
13th FC (ZP) 2014-15	**168560/-**	**परिशिष्ट-9 पृष्ठ-41**
General {Misc.} 2016-17	**363546/-**	**परिशिष्ट-9 पृष्ठ-42**
कुल	**₹2225152/-**	

(vi). निर्माण कार्यों के प्राक्कलन/अभिलेख इत्यादि का सही तरीके से रख-रखाव न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 व 95 की अनुपालना में ग्राम पंचायत **द्वारा** विभिन्न निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु अपेक्षित **प्राक्कलन, प्रशासनिक अनुमोदन, व तकनीकी स्वीकृति, कार्य पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र व उपयोगिता प्रमाण-पत्र** इत्यादि से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किये गये, जिनकी अनुपस्थिति में निर्माण कार्यों पर खर्च किये गये लाखों रूपये के व्यय का माप पुस्तिकाओं तथा सम्बन्धित अभिलेख के अनुसार पुर्णतः जाँच नहीं की जा सकी। जिससे विकास कार्यो पर दर्शाया गया व्यय प्राक्कलन व अधिकारिक अनुमोदन के अनुसार सही था भी या नहीं इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकी और न ही कार्यो के पूर्ण होने की स्थिति ज्ञात हो सकी। अतः उक्त अभिलेखों को प्रस्तुत न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उन्हें पूर्णतः तैयार करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि पंचायत **द्वारा** निष्पादित करवाए जा रहे लाखों रूपये के निर्माण कार्यो की पूर्ण जाँच सम्भव/सुनिश्चित हो सके।

13 **(i) मस्टर रोल्स बिल्स को रोकड़ बही में दर्ज किए बिना, तकनीकी प्राधिकारी से मुल्यांकित तथा प्रधान से पारित करवाए बिना किया गया ₹9.37 लाख का अनियमित भुगतान:-**

अंकेक्षण के दौरान व्यय कि जांच में पाया गया कि संलग्न **परिशिष्ट-10** में दर्शाए गए मस्टर रोल बिल्स न तो रोकड़ बही में दर्ज पाए गए और न ही उक्त बिलों पर भुगतान की गई राशि को भुगतान से पूर्व तकनीकी प्राधिकारी **द्वारा** मूल्यांकित किया गया और न ही प्रधान **द्वारा** सत्यापित व पारित किया गया था और न ही उक्त व्यय भुगतान से सम्बन्धित **माप पुस्तिकाएं व् सम्बन्धित** अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये, जिनकी अनुपस्थिति में उक्त मस्टर रोल बिल्स पर किया गया भुगतान प्राक्कलन/तकनीकी

मूल्यांकन अनुसार सही था अथवा नहीं इस बारे जाँच/पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः उपरोक्त बारे स्थिति स्पष्ट की जाए, तथा उक्त अभिलेख को नियमानुसार तैयार कर आगामी अंकेक्षण को प्रस्तुत किया जाए तथा व्यय भुगतान सही न पाए जाने की स्थिति में अधिक अदायगी की राशि की वसूली सुनिश्चित की जाए।

(ii) मस्टर रोल्स बिलों को तकनीकी प्राधिकारी से मुल्यांकित तथा प्रधान से पारित करवाए बिना ₹1.90 लाख का भुगतान:-

व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि चयनित माह 07/2014 में मनरेगा योजना के अंतर्गत मस्टर रोल **द्वारा ₹190036 का** भुगतान उक्त मस्टर रोल्स पर किये गए कार्य को तकनीकी प्राधिकारी से मूल्यांकित करवाए बिना ही किया गया था, और न ही उक्त मस्टर रोल्स का भुगतान करने से पूर्व इन्हें प्रधान **द्वारा** पारित किया गया था। क्योंकि इन पर करवाए गए कार्यो से सम्बन्धित माप पुस्तिकायें अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई, जिनकी अनुपस्थिति में उक्त मस्टर-रोल्स **द्वारा** किये गये भुगतान सही थे अथवा नहीं, तथा भुगतान से पूर्व सक्षम प्राधिकारी **द्वारा** इनका आकलन व मुल्यांकन कर लिया गया था इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकी । अतः उपरोक्त बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उक्त मस्टर-रोल्स पर करवाए गए कार्यो का सक्षम तकनीकी प्राधिकारी से मुल्यांकन करवाया जाए, तथा भुगतान की गई राशि यदि मुल्यांकन से अधिक पाई जाती है तो उसे उचित स्त्रोत से वसूली कर सम्बन्धित कोष में जमा किया जाए तथा भविष्य में मस्टर-रोल्स बिल्स की अदायगी से पूर्व उन्हें सक्षम तकनीकी प्राधिकारी **द्वारा** सत्यापित/मूल्यांकित करने तथा सतर्कतता समितियों **द्वारा** कार्य के सही एवं पूर्ण होने बारे सत्यापित करने के उपरान्त ही उनकी राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। उपरोक्त का विस्तृत ब्यौरा निम्नतालिकानुसार है।

दिनांक	**कार्य का नाम**	**मस्टररोल्स नं**	**राशि**	**CBP**
	महात्मा गाँधी राष्ट्रिय रोज़गार गारन्टी एक्ट			
24.07.14	सार्वजनिक रास्ता ब्रायला	99	15400/-	122
---do---	---------do---------	100	7700/-	122
---do---	नि. कच्चा रास्ता भटवाड़	123	19404/-	122
---do---	---------do---------	124	10780/-	122
---do---	नि. सुरक्षा दिवार ब्रायला	194	13860/-	122
---do---	---------do---------	195	6930/-	122
30.07.14	नि. सिंचाई कुहल दोगड़ो	543	22330/-	124
---do---	---------do---------	544	17094/-	124
---do---	---------do---------	545	2310/-	124
---do---	नि. कच्चा रास्ता तिर्मोलटी-शिलो	549	21868/-	124
---do---	नि.बांउडी चिलोंडी	551	4158/-	124
---do---	नि.बांउडी उजाला खाला	552	13706/-	124
---do---	नि. कच्चा रास्ता तिर्मोलटी-शिलो	920	20790/-	124
---do---	नि.बांउडी उजाला खाला	924	13706/-	124

Total Payments during 07/2014 ₹190036

14 निर्माण सामग्री के ढुलान हेतु स्थान व् दूरी दर्शाए बिना किया गया ₹0.54 लाख का ढुलाई का भुगतान:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि श्री जगदीश शर्मा पुत्र श्री रति राम को निर्माण सामग्री के ढुलान हेतु माह 03/2017 में अनुदान 14th FC से ₹53900 का भुगतान किया गया है । उक्त भुगतान से सम्बन्धित बिलों की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त ट्रांसपोर्टर **द्वारा** जारी किये गए बिलों पर न तो स्थान और न ही दूरी जिसके बीच उक्त सामग्री का ढुलान किया गया नहीं दर्शाया गया था । अधूरे विवरण दर्ज किये उक्त ट्रांसपोर्टर **द्वारा** लिए गए ढुलाई चार्जिज सही थे अथवा नहीं इस बारे पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः उपरोक्त बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में सामग्री का ढुलान कार्य या तो सरकार **द्वारा** निर्धारित (प्रति km) दरों पर करवाना सुनिश्चित किया जाए, अन्यथा उक्त कार्य हेतु निविदाएँ प्रति km दर के अनुसार आमन्त्रित की जाए ताकि ढुलाई चार्जिज पर होने वाले/हो रहे अधिक भुगतान से पंचायत को हो रहे वितीय नुकसान की सम्भावना को रोका जा सके। उक्त बारे विवरण निम्न तालिकानुसार है।

Transporter:-Jagdish Sharma/Ratti Ram Titiyana

Date	Inv.No	Name of Work	Material	(₹)
02.03.17	280	c/o Toilet, Makdna	380b.Agg.@ 45	17100
06.03.17	290	DrainGPS Thontha	400b.Sand@ 30	12000
06.03.17	293	Drain Naina Devi	320b.Sand@ 40	12800
12.03.17	283	c/o Toilet,Jakhal	400b.Sand@ 30	12000
			Total	**₹53900**

15 जलागम विकास निधि (JVN) के खाते में जमा पड़ी ₹6.23 लाख का उपयोग न करना:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत के पास 14.12.2004 से जलागम विकास निधि का एक खाता चल रहा है, इस खाते में 22.05.2010 तक ₹4,47,262 अंशदान के रूप में प्राप्त हुए है और उक्त निधि के बचत बैंक खाते पर ब्याज प्राप्त होकर 31.03.2017 को इसमें ₹6,23,319 जमा पड़ी है जबकि उक्त खाते से अंकेक्षण अवधि तक कोई भी राशि खर्च नहीं की गई है। अतः उक्त राशि को उपयोग न करने बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए या तो उक्त राशि का सम्बन्धित संस्था को प्रत्यार्पण किया जाए अन्यथा उनुपयोग पड़ी राशि को पंचायत निधि में हस्तांतरित कर इसका नियमानुसार उपयोग किया जाए या उक्त राशि को सावधि जमा में निवेश कर पंचायत निधि के लिए अतिरिक्त आय का सृजन किया जाए।

16 बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव **द्वारा** फार्म-11 मे पंचायत के आय व्यय प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा मे पारित करवाना अपेक्षित था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत **द्वारा** किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुऐ भविष्य मे नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

17 रसीद बुकों के उपयोग से सम्बन्धित अनियमितता बारे:- परिशिष्ट-11

(क) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत सचिव **द्वारा** रसीदों से सम्बन्धित **रसीद बुक स्टॉक रजिस्टर** का संधारण नहीं किया गया है जिससे ग्राम पंचायत को जिला पंचायत

अधिकारी कार्यालय से प्राप्त/ तथा उसके नियमित उपयोग तथा स्टॉक में शेष बची रसीद बुक्स का सही–सही पता नहीं लगाया जा सका। अतः उक्त अभिलेख को नियमानुसार तैयार न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए था सम्बन्धित अभिलेख पुर्णतः तैयार कर आगामी अंकेक्षण को प्रस्तुत करना भी सुनिश्चित किया जाए।

(ख) रसीद बुक्स की पड़ताल के दौरान पाया गया कि रसीद बुक्स पर हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 (4) व (5) के अनुसार पंचायत सचिव तथा प्रधान **द्वारा** रसीद बुकों पर गणना से सम्बन्धित प्रमाण पत्र अंकित नहीं किया गया था तथा अधिकतर रसीदें बिना तिथि तथा जारीकर्ता के हस्ताक्षर के पाई गई, उन पर की गई कटटिंग्स तथा रद्द करने पर सक्षम प्राधिकारी **द्वारा** सत्यापन भी नहीं किया जा रहा है ।

(ग) रसीद बुक संख्या 1204 की पड़ताल के दौरान पाया गया कि उक्त रसीद क्रम संख्या 1 से 4 तक MHWDP योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान हेतु जारी की गई है जबकि रसीद संख्या 5 से 39 के Counterfoils पर न तो कोई राशि दर्ज है और न ही प्राप्त राशि से सम्बन्धित विवरण जिस हेतु उक्त रसीदें जारी की गई है दर्ज पाया गया । उक्त रसीदों **द्वारा** प्राप्त राशि अभिलेख में दर्ज की गई अथवा नहीं इस बारे भी पुष्टि नहीं की जा सकी । अतः उक्त बारे वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

18 ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों/कर्मचारियों को बिना बिल वाउचर तैयार/पारित किये मानदेय का भुगतान :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत **द्वारा** वित्त नियम 2002 के नियम 64 के अनुसार ग्राम पंचायत के प्रधान, उप प्रधान, मेम्बर्स, चौकीदार, सिलाई प्रशिक्षण अध्यापिका आदि को मासिक मानदेय का भुगतान ग्राम पंचायत निधि तथा सरकार से प्राप्त अनुदान से किया गया है। परन्तु उक्त मानदेय के भुगतान/आहरण से सम्बन्धित पंचायत **द्वारा** न तो कोई भी बिल/वाउचर/रसीद तैयार कर पारित किया गया है, और न ही उक्त **भुगतान के रख–रखाव से सम्बन्धित मानदेय पंजिका** अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत की गई । जिसके **अ**भाव में उक्त भुगतान वास्तविक अथवा सही था इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकी साथ ही देय राशि से अधिक भुगतान हो जाने पर नियन्त्रण नहीं रह जाता क्योंकि मानदेय के भुगतान हेतु प्राप्त अनुदान तथा तदानुसार उसका सम्बन्धित व्यक्ति को भुगतान का रख–रखाव सामान्य निधि खाते में ही किया गया है, जहाँ से इसका अधिक भुगतान हो जाने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त सचिव **द्वारा** मानदेय की सरकार **द्वारा** अनुमोदित दरों से सम्बंधित कोई भी दस्तावेज/अभिलेख अंकेक्षण के अवलोकनार्थ प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके **अ**भाव में मानदेय का दर्शाया गया भुगतान सही था भी या नहीं इस बारे पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः वांछित अभिलेख नियमानुसार तैयार न करने बारे स्थति स्पष्ट की जाए ।

19 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना:-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखें,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत **द्वारा** विभिन्न रजिस्टरों /अभिलेखों का रखरखाव किया जाना अनिवार्य था अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत **द्वारा** निम्न रजिस्टरों /अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रखरखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये|

1. अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर |
2. रोकड़ बही तथा बैंक पास बुक में मिलान सारणी |
3. चल अचल संपत्ति का रजिस्टर |
4. आकस्मिक व्यय रजिस्टर |
5. अग्रिमों का रजिस्टर|
6. रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर |
7. प्राक्कलन,तकनिकी स्वीकृति तथा प्रशासनिक अनुमोदन रजिस्टर|
8. मांग व् प्राप्ति रजिस्टर।
9. स्टेशनरी रजिस्टर।
10. निर्माण सामग्री स्टोर रजिस्टर।
11. मस्टर रोल्स इशू रजिस्टर।
12. इन्वेंटरी रजिस्टर।

20 प्रत्यक्ष सत्यापन:-

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भंडार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत **द्वारा** भंडार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे स्तिथि स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अम्ल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये ।

21 लघु आपत्ति विवरणिका :-

i) ग्राम पंचायत निधि से किये जा रहे भुगतानों को मात्र ग्राम पंचायत के प्रधान **द्वारा** ही सत्यापित किया जा रहा है जबकि पंचायती राज वित्त नियम,2002 के नियम 49(1) के अनुसार कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि ग्राम पंचायत के प्रधान व सचिव **द्वारा** शब्दों एवं अंको दोनों में देय रकम को इसमें विनिर्दिष्ट करते हुए संयुक्त: हस्ताक्षरित न किया गया हो । अतः भविष्य में पंचायत निधि से किये जाने वाले सभी भुगतानों को प्रधान व सचिव **द्वारा** संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित करने के उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

ii) पंचायती राज वित्त नियम, 2002 के नियम 7 के अनुसार प्रत्येक बिल/वाउचर पर ग्राम सभा **द्वारा** उस व्यय को पारित किये जाने से सम्बंधित प्रस्ताव संख्या व दिनांक को अंकित किया जाना अनिवार्य है जबकि ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान किये जा रहे किसी भी बिल/वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक को अंकित नहीं किया गया है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में उक्त नियम का पालन किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

22 निष्कर्ष:- लेखों में सुधार की नितान्त आवश्यकता है ।

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(x)21/2018 खण्ड–1–2655–2658 दिनांक

16.04.2018 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, सिरमौर, जिला सिरमौर हि0प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड पांवटा साहिब, जिला सिरमौर हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत ठोठा जाखल, विकास खण्ड पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881